

न्यायालय अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, झुंझुनू

पीठासीन अधिकारी :-

जगदीश प्रसाद गौड़,
आर.ए.एस.

गुण्डा एक्ट प्रकरण संख्या :- 09/2022

राजस्थान सरकार जरिये पुलिस अधीक्षक, झुंझुनू।

—बनाम—

पवन सिंह पुत्र करणी सिंह राजपूत, निवासी खुड़िया, पुलिस थाना मण्ड्रेला, जिला झुंझुनू।

इस्तगासा अन्तर्गत धारा 2 खण्ड (ख)(5)
राजस्थान गुण्डा नियन्त्रण अधिनियम 1975

उपस्थिति :-

2. श्री सहायक लोक अभियोजक (प्रथम) —————सरकार की ओर से।

—निर्णय—

दिनांक 30.12.2022

संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि पुलिस अधीक्षक, झुंझुनू ने दिनांक 20.09.2021 को गैर सायल पवन सिंह पुत्र करणी सिंह राजपूत, निवासी खुड़िया, पुलिस थाना मण्ड्रेला, जिला झुंझुनू के खिलाफ न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट, झुंझुनू में इस्तगासा पेश किया कि पवन सिंह पुत्र करणी सिंह राजपूत, निवासी खुड़िया, पुलिस थाना मण्ड्रेला, जिला झुंझुनू का रहने वाला है जो एक अपराधिक मनोवृत्ति का बदमाश व्यक्ति है। इसकी आपराधिक गतिविधियां लगातार बढ़ रही है जो जुआ सट्टा खेलने का आदतन अपराधी है, इसके डर से कोई भी व्यक्ति इसके खिलाफ थाने पर सूचना या रिपोर्ट दर्ज कराने में कतराता है तथा ना ही कोई गवाही देने के लिए तैयार है। इसकी आपराधिक गतिविधियों से युवा पीढ़ी व समाज पर विपरित असर पड़ रहा है। इसके खिलाफ अब तक 02 अभियोग दर्ज किये गये हैं जिनमें से दोनों ही प्रकरणों में न्यायालय द्वारा अपराधी मानकर दण्डित किया गया है इसके जिले की सीमाओं में रहने से अपराधिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा। उक्त शख्स द्वारा किये गये अपराध एवं दोषसिद्धि का विवरण निम्न प्रकार है :-

1. अभियोग संख्या 99/2019 दिनांक 27.09.2019 धारा 13 आरपीजीओ अधि० थाना मण्ड्रेला, झुंझुनू में पंजीबद्ध होकर आरोप पत्र संख्या 64 दिनांक 03.10.2019 को न्यायालय में पेश किया गया। जिसमें बाद अन्वीक्षा माननीय न्यायालय द्वारा अपने निर्णय दिनांक 18.11.2019 में अभियुक्त को दोषसिद्ध मानते हुये 100 रु. अर्थ दण्ड से दण्डित किया गया।

अति. जिला मजिस्ट्रेट
झुंझुनू

2. अभियोग संख्या 198/2019 दिनांक 04.07.2019 धारा 13 आरपीजीओ अधि० थाना सदर, झुंझुनू में पंजीबद्ध होकर आरोप पत्र संख्या 147 दिनांक 31.07.2019 को न्यायालय झुंझुनू में पेश किया गया। जिसमें बाद अन्वीक्षा माननीय न्यायालय द्वारा अपने निर्णय दिनांक 31.08.2019 में अभियुक्त को दोषसिद्ध मानते हुये 800 रु. अर्थ दण्ड से दण्डित किया गया।

इस प्रकार उक्त पवन सिंह पुत्र करणी सिंह राजपूत, निवासी खुड़िया, पुलिस थाना मण्ड्रेला, जिला झुंझुनू का यह कृत्य राजस्थान गुण्डा नियन्त्रण अधिनियम 1975 की धारा 2 के खण्ड (ख) उपखण्ड (5) की परिभाषा में पूर्ण रूप से आता है, जिसके खिलाफ कानूनी कार्यवाही की जावें।

न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट झुंझुनू से दिनांक 18.04.2022 को प्रकरण न्यायालय हाजा में हस्तानान्तरित होने पर इस्तगासा दर्ज रजिस्टर किया जाकर पर गैर सायल को उसके खिलाफ लगाये आरोपों की सूचना को नोटिस देकर तलब किया गया जिस पर गैर सायल अपने अधिवक्ता मनोहर लाल सैनी के साथ दिनांक 15.12.2022 को उपस्थित हुआ। जिसे दिनांक 15.12.2022 को गुण्डा नियन्त्रण अधिनियम का सारांश सुनाया गया, जिसे गैर सायल द्वारा लिखित प्रार्थना पत्र देकर स्वीकार किया जाने पर बहस अन्तिम सुनी गई।

दौराने बहस विद्वान एपीपी-1 ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए बताया कि गैर सायल के खिलाफ पुलिस थाना मण्ड्रेला व पुलिस थाना सदर, झुंझुनू में एक-एक अभियोग दर्ज होकर न्यायालय में चालान पेश किये गये हैं तथा जिनमें दोनों ही प्रकरणों में गैर सायल जुर्माने से दण्डित हुआ है। इस प्रकार गैर सायल राजस्थान गुण्डा नियन्त्रण अधि० 1975 की धारा 2 खण्ड (ख) के उपखण्ड (5) में अंकित धारा के अधीन 2 बार दोषसिद्ध होने के कारण गुण्डा की परिभाषा में आता है। अतः इसे झुंझुनू जिले की सम्पूर्ण सीमा से निष्कासित किया जावे।

मैने पत्रावली का अवलोकन किया। उभय पक्ष की बहस पर ध्यानपूर्वक मनन किया। पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात/साक्ष्य के मुताबिक पवन सिंह पुत्र करणी सिंह राजपूत,

अति. जिला मजिस्ट्रेट
झुंझुनू

निवासी खुड़िया, पुलिस थाना मण्डेला, जिला झुन्झुनू के खिलाफ पुलिस थाना मण्डेला व पुलिस थाना सदर, झुन्झुनू में एक-एक अभियोग दर्ज होकर न्यायालय में चालान पेश किये गये हैं तथा जिनमें से दोनों ही प्रकरणों में गैर सायल जुर्माने से दण्डित हुआ है। गैर सायल पवन सिंह पुत्र करणी सिंह राजपुत राजस्थान गुण्डा अधिनियम 1975 के अन्तर्गत 2 बार अपराध करने के कारण गुण्डा की परिभाषा में आता है। उक्त अधिनियम की धारा 8 के अनुसार ऐसे प्रकरणों पर भारतीय साक्ष्य अधिनियम के प्रावधान लागू नहीं होते हैं तथा साक्ष्य का प्रोबेटिव वेल्थू होने के कारण उक्त दस्तावेज सम्पुष्टि के लिए पर्याप्त है। अतः प्रत्येक प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्जकर्ता व चालान पेशकर्ता का आकर साबित करना आवश्यक नहीं है तथा राज0 गुण्डा नियन्त्रण अधिनियम 1975 के नियम 3 के अनुसार पुलिस अधीक्षक की लिखित सूचना पर धारा 3 गुण्डा नियन्त्रण अधिनियम के तहत कार्यवाही की जा सकती है। किसी व्यक्ति विशेष की शिकायत की आवश्यकता नहीं है। पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य/सबूत को दृष्टिगत रखते हुए मुझे यह पूर्ण विश्वास है कि गैरसायल यदि इस जिले में बना रहता है तो वह ऐसे अपराधों की पुनरावृत्ति में पुनः लगकर युवा पीढ़ी को ऐसी सामाजिक बुराई के अपराध में संलिप्त कर उन्हें दिशा भ्रमित कर सामाजिक व्यवस्था को भंग कर सकता है तथा आम जन की जान माल को नुकसान हो सकता है। ऐसी स्थिति में गुण्डा नियन्त्रण अधिनियम की धारा 3 (ख) (11) में अंकित विश्वास के कारणों के कारण गैरसायल गुलाब हुसैन पुत्र यासीन कायमखानी, निवासी मोहल्ला चेजारान, पुलिस थाना कोतवाली, झुन्झुनू को इस जिले से निष्कासित करना न्यायोचित व आवश्यक समझता हूँ।

अतः गैरसायल पवन सिंह पुत्र करणी सिंह राजपूत, निवासी खुड़िया, पुलिस थाना मण्डेला, जिला झुन्झुनू को राज0 गुण्डा नियन्त्रण अधिनियम 1975 की धारा 3(ख) (11) के तहत 15 दिवस की अवधि के लिए झुन्झुनू जिले की सम्पूर्ण सीमा से बाहर पुलिस थाना राजगढ, जिला चुरू निष्कासित किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। इस दौरान गैर सायल ऐसे अपराध एवं अन्य असमाजिक गतिविधियों में शामिल नहीं रहेगा तथा गैर सायल पवन सिंह पुत्र करणी सिंह राजपूत, निवासी खुड़िया, पुलिस थाना मण्डेला, जिला झुन्झुनू उक्त 15 दिवस की निष्कासित अवधि में जहाँ भी निवास करे, थानाधिकारी, पुलिस थाना राजगढ, जिला चुरू को अपनी उपस्थिति दर्ज करवाकर उस स्थान की सूचना थाना मण्डेला को देंगे तथा थानाधिकारी पुलिस थाना मण्डेला झुन्झुनू उचित पते की सूचना प्राप्त होने पर गैर

जिला मजिस्ट्रेट
चुरू

(4)

सायल की गतिविधियों बाबत पाक्षिक सूचना इस न्यायालय को प्रेषित करेंगे। यह निर्णय दिनांक 30.12.2022 के पश्चात 15 दिवस के बाद से प्रभावी होगा। निर्णय की प्रति पुलिस अधीक्षक झुंझुनू को आवश्यक कार्यवाही हेतु भेजी जावे। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफतर हो।

(जगदीश प्रसाद मौरा)
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
झुंझुनू

निर्णय आज दिनांक 30.12.2022 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर, बाद मेरे हस्ताक्षर एवं इस न्यायालय के मुद्रांकित खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(जगदीश प्रसाद मौरा)
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
झुंझुनू